प्रेषक,

शकील अहमद सिद्दीकी,
अनु सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

निदेशक,
उद्यान एवं खाद्य प्रसंस्करण विभाग,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

खाद्य प्रसंस्करण अनुभाग **लखनऊ::दिनांक: 03 जून, 2020**

विषयः- अनुदान संख्या-83 के अधीन खाद्य प्रसंस्करण शाखा के अन्तर्गत चालू योजनाओं में वित्तीय वर्ष 2020-21 हेतु आय-व्ययक में प्राविधानित धनराशि रू0-15.30 लाख की वित्तीय स्वीकृति निर्गत किये जाने के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अपने पत्रांक-04/बजट/2020-21, दिनांक: 07.04.2020 का सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें।

2. उक्त के संबध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि **अनुदान संख्या-83 के अधीन खाद्य प्रसंस्करण शाखा के अन्तर्गत चालू योजनाओं में वित्तीय वर्ष 2020-21 हेतु आय-व्ययक में प्राविधानित धनराशि रू0-15.30 लाख (रूपये पन्द्रह लाख तीस हजार मात्र)** को अवमुक्त किये जाने की वित्तीय एवं प्रशासकीय स्वीकृति प्रदान करते हुए आपके निवर्तन पर रखते हुए निम्नलिखित शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन व्यय किये जाने की श्री राज्यपाल महोदय सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते है, जिसका विवरण निम्नवत है :-

अनुदान संख्या-83 (खाद्य प्रसंस्करण शाखा) **(धनराशि लाख रूपये में)**

क्र0 सं0	लेखाशीर्षक/कोड सं0/मद का नाम	वित्तीय वर्ष 2020-21 के लिए अनुदान	अवमुक्त धनराशि
1	2	3	4
1	2401-फसल कृषि कर्म 789-अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना 05-खाद्य प्रसंस्करण उद्यमिता विकास 44- प्रशिक्षण हेतु यात्रा एवं अन्य प्रशासंगिक व्यय	15.30	15.30
	योग-	**15.30**	**15.30**

(रूपये पन्द्रह लाख तीस हजार मात्र)

1. वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय-ज्ञाप संख्या-1/2020/बी-1-149/दस-2020-231/2020, दिनांक-24/03/2020 में दिये गये निर्देश विशेषकर प्रस्तर-9 एवं 10 में दिये गये निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित किया जाय। अन्यथा की स्थिति में विभागाध्यक्ष, वित्त नियंत्रक एवं आहरण वितरण अधिकारी उत्तरदायी होंगे।
2. वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय-ज्ञाप संख्या-4/2020/बी-1-192/दस-2020-231/2020, दिनांक-07/04/2020 एवं संख्या-5/2020/बी-1-196/दस-2020-231/2020, दिनांक-11/04/2020 में दिये गये निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित किया जाया।

.....2/-

http://shasanadesh.up.gov.in

3. उक्त स्वीकृत धनराशि का व्यय खाद्य प्रसंस्करण शाखा के अन्तर्गत व्यवस्थित उन्हीं मदों में किया जायेगा जिनके लिये धनराशि स्वीकृत की जा रही है। इस आशय का प्रमाण-पत्र निदेशक, उद्यान एवं खाद्य प्रसंस्करण विभाग द्वारा शासन को उपलब्ध कराया जायेगा। जहाँ आवश्यकता हो, सक्षम अधिकारी की स्वीकृति के पश्चात् ही उपरोक्त मदों में व्यय किया जायेगा।
4. खाद्य प्रसंस्करण शाखा के अन्तर्गत व्यवस्थित मदों के अतिरिक्त किन्हीं अन्य मदों में उक्त धनराशि का व्यय कदापि नहीं किया जायेगा और न ही एक मद से दूसरे मद में इसका व्यावर्तन किया जायेगा। भिन्न स्थिति होने पर वित्तीय अनियमितता माना जायेगा, जिसके लिए निदेशक, उद्यान एवं खाद्य प्रसंस्करण विभाग तथा आहरण एवं वितरण अधिकारी इस हेतु पूर्ण रूप से उत्तरदायी होंगे।
5. उक्त स्वीकृत धनराशि का व्यय उत्तर प्रदेश बजट मैनुअल और फाइनेन्सियल हैण्डबुक के नियमों प्राविधानों के अनुसार नियन्त्रक अधिकारी के नियन्त्रण में किया जायेगा।
6. स्वीकृत धनराशि के व्यय का विवरण यथा वित्तीय नियमों के अनुसार शासन/वित्त विभाग को उपलब्ध कराना सुनिश्चित किया जायेगा।
7. मितव्ययिता के संबंध में वित्त विभाग/शासन द्वारा समय-समय पर निर्गत शासनादेशों के निर्देशों का कड़ाई से अनुपालन कराना सुनिश्चित किया जायेगा।

भवदीय,

(शकील अहमद सिद्दीकी)
अनु सचिव।

संख्या-64/2020/313(1)/58-2-2020, तद्दिनांक:

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

(1) महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) प्रथम/द्वितीय, उत्तर प्रदेश, प्रयागराज।
(2) महालेखाकार (लेखा-परीक्षा) प्रथम/द्वितीय, सत्यनिष्ठा भवन, 15, थार्न हिल रोड, प्रयागराज ।
(3) मुख्य कोषाधिकारी, जवाहर भवन, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
(4) वित्त नियंत्रक/आहरण एवं वितरण अधिकारी, उद्यान एवं खाद्य प्रसंस्करण निदेशालय, उ0प्र0 लखनऊ।
(5) वित्त (व्यय-नियन्त्रण) अनुभाग-1, उत्तर प्रदेश शासन।
(6) वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1, उत्तर प्रदेश शासन।
(7) वित्त संसाधन (केन्द्रीय सहायता) अनुभाग, उत्तर प्रदेश शासन।
(8) गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(शकील अहमद सिद्दीकी)
अनु सचिव।

http://shasanadesh.up.gov.in

प्रेषक,

शकील अहमद सिद्दीकी,
अनु सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

निदेशक,
उद्यान एवं खाद्य प्रसंस्करण विभाग,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

खाद्य प्रसंस्करण अनुभाग **लखनऊ::दिनांकः 30 जून, 2020**

विषयः- **मैसर्स श्री धनलक्ष्मी फूड्स प्रा0लि0, अराजी सं0-340 कसेरूवा कला सहसों, फूलपुर, इलाहाबाद का पास्ता, फ्रायम्स एवं पप्स उत्पादन इकाई की स्थापना हेतु उ0प्र0 खाद्य प्रसंस्करण उद्योग नीति-2017 योजनान्तर्गत ब्याज उपादान की द्वितीय किस्त की धनराशि रू0-16.53 लाख (रूपया सोलह लाख तिरपन हजार मात्र) अवमुक्त किये जाने के संबंध में।**

महोदय,

उपर्युक्त विषयक कृपया अपने पत्र संख्या-खा0प्र0मि0-4689/217/2020-21, दिनांक-24.06.2020 का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें।

2 उक्त के संबंध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि शासनादेश संख्या-1255/58-2-2017-600(7)/2017टी0सी0, दिनांक- 24.11.2017 द्वारा कृषि उत्पादन आयुक्त, उ0प्र0 शासन की अध्यक्षता में गठित स्टेट लेबल इम्पावर्ड सब कमेटी की बैठक दिनांकः 20.12.2019 को **मैसर्स श्री धनलक्ष्मी फूड्स प्रा0लि0, अराजी सं0-340 कसेरूवा कला सहसों, फूलपुर, इलाहाबाद का पास्ता, फ्रायम्स एवं पप्स उत्पादन इकाई की स्थापना हेतु** उ0प्र0 खाद्य प्रसंस्करण उद्योग नीति-2017 के अन्तर्गत ब्याज उपादान स्वीकृत किये जाने की संस्तुति/अनुमोदन प्रदान किया गया है।

3. अनुदान संख्या-10 के अंतर्गत वित्तीय वर्ष 2020-21 में उ0प्र0 खाद्य प्रसंस्करण उद्योग नीति-2017 के क्रियान्वयन हेतु शासनादेश संख्या-62/2020/340/58-2-2020-300(1)/2020, दिनांक-26/05/2020 के द्वारा रू0-250.00 लाख की व्यवस्था निदेशक, उद्यान एवं खाद्य प्रसंस्करण विभाग के निवर्तन पर अवमुक्त की गयी है।

4. निदेशक, उद्यान एवं खाद्य प्रसंस्करण विभाग द्वारा उपलब्ध कराये गये प्रस्ताव एवं अभिलेखानुसार **मैसर्स श्री धनलक्ष्मी फूड्स प्रा0लि0, अराजी सं0-340 कसेरूवा कला सहसों, फूलपुर, इलाहाबाद का पास्ता, फ्रायम्स एवं पप्स उत्पादन इकाई की स्थापना हेतु** उ0प्र0 खाद्य प्रसंस्करण उद्योग नीति-2017 के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2019-20 हेतु ब्याज उपादान की द्वितीय किश्त की धनराशि अनुदान **रू0-16.53 लाख (रूपया सोलह लाख तिरपन हजार मात्र)** की प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति श्री राज्यपाल निम्नलिखित शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन सहर्ष प्रदान करते हैं :-

(1) उ0प्र0 खाद्य प्रसंस्करण उद्योग नीति-2017 के प्रावधानों एवं तत्संबंध में निर्गत सुसंगत शासनादेशों का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा तथा अनुपालन की स्थिति से शासन को अवगत कराया जायेगा।

(2) शासनादेश संख्या-36/2017/1343/58-2-2017-600(7)/2017, दिनांक-21.12.2017 एवं शासनादेश संख्या-15/2019/205/58-2-2019-600(7)/2017, दिनांक-22.02.2019 में उल्लिखित शर्तों एवं नियमों का कड़ाई से अनुपालन कराया जाय।

(3) उक्त ब्याज उपादान की द्वितीय किस्त की धनराशि संस्था के टर्मलोन खातें में निर्गत किया जाना सुनिश्चित करेंगे।

(4) अनुदान हेतु स्वीकृत की धनराशि जारी करने से पूर्व उ0प्र0 खाद्य प्रसंस्करण उद्योग नीति-2017 के दिशा-निर्देशानुसार संस्था से वांछित समस्त अभिलेखों एवं औपचारिकताओं को पूर्ण कराने की कार्यवाही निदेशक, उद्यान एवं खाद्य प्रसंस्करण/प्राधिकृत संस्था द्वारा पूर्ण करा ली जायेगी तथा उसकी पुष्टि करते हुए इस आशय का प्रमाण

.....2/-

http://sbasanadesh.up.gov.in

पत्र शासन में उपलब्ध कराया जायेगा तथा किसी भी प्रकार के अनियमितता के लिए निदेशक, उद्रयान एवं खाद्य प्रसंस्करण/निदेशक, मिशन उत्तरदायी होंगे।

(5) संस्था द्वारा संचालित योजना का स्थलीय निरीक्षण एवं भौतिक प्रगति निदेशक, उद्यान एवं खाद्य प्रसंस्करण द्वारा किया जायेगा तथा उसकी आख्या शासन में उपलब्ध करायी जायेगी।

(6) उक्त धनराशि का उपयोग/व्यय दिनांक-31.03.2021 से पूर्व कर लिया जायेगा तथा आडिटेड उपयोगिता प्रमाण पत्र उपलब्ध कराया जायेगा।

(7) स्वीकृत धनराशि को भुगतान करने से पूर्व वित्तीय नियमों/शासनादेशों तथा राज्य सरकार के दिशा-निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

(8) धनराशि का व्यय किसी भिन्न प्रयोजन में नहीं किया जायेगा तथा उसी मद में किया जायेगा जिस हेतु धनराशि स्वीकृत की गयी है।

(9) उक्त धनराशि के व्यय में किसी भी प्रकार की अनियमितता हेतु निदेशक, उद्रयान एवं खाद्य प्रसंस्करण/ निदेशक, मिशन तथा वित्त नियंत्रक/आहरण एवं वितरण अधिकारी उत्तरदायी होंगे।

(10) राज्य सरकार द्वारा दिये गये दिशा-निर्देशों/वित्तीय नियमों/शासनादेशों का अनुपालन न किये जाने अथवा किसी भी प्रकार की अनियमितता/शिथिलता पाये जाने पर दी गई अनुदान की धनराशि की सुसंगत वसूली कर ली जायेगी तथा दोषी के विरूद्ध सुसंगत नियमों के अन्तर्गत कठोर कार्यवाही की जायेगी।

(11) उक्त ब्याज उपादान की द्वितीय किस्त की धनराशि संस्था के टर्म लोन के खाते में निर्गत किया जाना सुनिश्चित करेंगे।

(12) यह आदेश वित्त विभाग के शासनादेश संख्या-1/2020/बी-1-149/दस-2020-231/2020 दिनांक-24.03.2020 संख्या-4/2020/बी-1-192/दस-2020-231/2020 दिनांक-07.04.2020 एवं संख्या-5/2020/बी-1-196/दस-2020-231/2020 दिनांक-11.04.2020 में प्रतिनिधानित अधिकारों के अधीन निर्गत किये जा रहे हैं।

भवदीय,

(शकील अहमद सिद्दीकी)
अनु सचिव।

संख्या-64/2020/471(1)/58-2-2020, तद्दिनांक:

(1) कार्यालय महालेखाकार लेखा-परीक्षा (प्रथम), सत्यनिष्ठा भवन, 15 थार्न हिल रोड, प्रयागराज।
(2) जिलाधिकारी, **प्रयागराज** को इस अनुरोध के साथ प्रेषित कि अपने स्तर से उक्त का सत्यापन कराकर शासन को सूचित करने का कष्ट करें।
(3) वित्त नियंत्रक, निदेशालय उद्यान एवं खाद्य प्रसंस्करण, उ0प्र0 लखनऊ/आहरण एवं वितरण अधिकारी, उद्यान निदेशालय, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
(4) मुख्य कोषाधिकारी, जवाहर भवन, उ0प्र0, लखनऊ।
(5) वित्त (व्यय नियंत्रण) अनुभाग-1, उ0प्र0 शासन।
(6) वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1, उ0प्र0 शासन।
(7) नियोजन अनुभाग-4 उ0प्र0 शासन।
(8) संबंधित संस्था।
(9) गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(शकील अहमद सिद्दीकी)
अनु सचिव।

http://shasanadesh.up.gov.in